को पेश हो

11.07.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय में तीन चार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट / उपखंड कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.07.22 13:59:21 IST
Reason: SelfAttested